REGD. NO. D. L.-33004/99



# HRC as ette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310] 🛔 🔍	नई दिल्ली, बृहस्यतिवार, जुलाई 12, 2012/आषाढ़ 21, 1934
No. 1310]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2012/ASADHA 21, 1934

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2012

का.आ. 1563(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :---

कम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार क नाम
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 222.000 (छपरा-हाजीपुर-पटना) तक खंड	बिहार राज्य
	को छोड़कर], रारा सं 28 [किमी 365.570 से किमी 627.000 मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से गोपालगंज-	सरकार"।
	उत्तर प्रदेश/बिहार सोमा और मुजफ्फरपुर से बरौनी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, सं. 30 [किमी	
	181.300 से किमी 117.000 (पटना-बक्सर) और किमी 181.300 से किमी 231.950 (पटना-बख्तियारपुर) तक	
	खंड को छोड़कर], सरा सं. 30ए, सं. 31 [किमी 153.000 से किमी 447.000 (खगड़िया-बख्तियारपुर-पूर्णिया)	
	और किमी 470.000 से किमी 476.150 (पूर्णिया से गैरकट्टा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 77	
	[किमी 0.000 (रामाशीष चौक) से किमी 89.000 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा) तक खंड को छोड़कर],	
	रारा सं. 80 [(किमी 1.430 से किमी 70.000 (मोकामा-मुंगेर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 81, रारा सं.	
	82, रास .सं. 83, रास सं. 84 [किमी 0.000 से किमी 75.000 (पटना-बक्सर) तक खेंड को छोड़कर],	
	रारा सं. 85 [(किमी 0.000 से किमी 94.700 (गोपालगंज-छपरा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 98, रारा	
	सं. 99, रारा सं. 101, रारा सं. 102, रारा सं. 103, रारा सं. 104, रारा सं. 105, रारा सं. 106, रारा सं. 107, रारा	
	सं. 110 और राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 333 (रारा-33) (नई सं.) बरियारपुर से प्रारम्भ होकर खड्गपुर, लक्ष्मीपुर,	
	जमुई चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 327 विस्तार [ रारा सं. 327 (नई सं.) पर गलगलिया	
	से प्रारम्भ होने वाला (पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा,	
	सुपौल को जोडने वाला और भरियाही बाजार पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], रारा-231 (नई सं.) पर बगाव,	
	राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 131ए (रारा-31) (नई सं.) पर कटिहार से प्रारम्भ होने वाला राजमार्ग) और रारा-27	
	(नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला) के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/12/2012-पी एंड एम] माया प्रकाश, उप-सचिव

रजिस्टी सं॰ डी॰-33004/99

# THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1056(अ), तारीख 11 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

### New Delhi, the 12th July, 2012

S.O. 1563(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :---

SI. No,	Description of National Highways	Name of the State Government
"4 <sub>.</sub>	So much of National Highways No. 2C, No. 19 [excluding from km. 143.200 to km. 222.000	
	(Chhapara-Hajipur-Patna)], No. 28 [excluding from km. 365.570 to km. 627.000 (from Muzzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border and Muzzaffarpur to	
	Barauni)], No. 28B, No. 30 [excluding from km. 181.300 to km. 117.000 (Patna-Buxar) and from	
	km. 181.300 to km. 231.950 (Patna-Bakhtiyarpur)], No. 30A, No. 31 [excluding from km. 153.300	
	to km. 447. 000 (Khagaria-Bakhtiyarpur-Purnea) and km. 470.000 to km. 476.150 (Purnea to	
1.1	Goyerkata)], No.77 [excluding from km. 0.000 (Ramashish Chowk) to km. 89.000 (from Hajipur	-
	Muzaffarpur-Sonbarsa)], No. 80 [excluding from km. 1.430 to km. 70.000 (Mokama-Munger),	
. <u>.</u> .	No. 81, No. 82, No. 83, No. 84 [excluding from km. 0.000 to 75,000 (Patna-Buxar)], No. 85	
· ·	[excluding from km. 0.000 to km. 94.700 (from Gopalganj-Chhapra)], No. 98, No. 99, No. 101,	. ,
	No. 102, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, No. 107, No. 110 and National Highway new number	
	333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new Number) connecting Kharagpur,	
	Laxmipur, Jamui, Chakai], National Highway new number : 327 Extension [the highway starting	
-	from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting Thakurganj,	
	Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supau I and terminating at	
	Bariyahi Bazar] Bagaon on NH-231 (new number), National Highway new number 13 I A [the	
	highway starting from Katihar on NH-31 (new number) and terminating at Purnea on NH-27 (new number) as are situated within the State of Bihar].	

### [F. No. NH-14013/12/2012-P&M]

MAYAPRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1056(E), dated the 11th May, 2012.

### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2012

का.आ. 1564(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड, जो उक्त सारणी के सतम्भ (1) में सदुश प्रविष्टि में यथा–विनिर्दिष्ट हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थातु :---

<u>[भाग II</u> -खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण 3
į	सारणी
राष्ट्रीय राजमार्ग (नई) सं.	खंड
(1)	(2)
527सी	मझौली से चरौट [रारा-27(नई सं.) पर मझौली से प्रारम्भ होने वाला] कटरा, जजुआर, पपरी को

जोड़ने वाला और रारा-227 विस्तार (नई सं.) पर चरौट पर समाप्त होने वाला बिहार राज्य में अवस्थित है (संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग) ।

[फा. सं. एनएच-14013/12/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## NOTIFICATION

# New Delhi, the 12th July, 2012

S.O. 1564(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, of the section as specified in column (2) of the following Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

### TABLE

`

í

National Highway (new) Number	Section
(1)	(2)
527C	Majhauli to Charout [the highway starting from Majhauli] on NH-27 (new number) connecting Katra, Jajuar, Pupri and terminating at Charout on NH-227 Extension (new number) as are situated within the State of Bihar (Complete National Highway).

[F. No. NH-14013/12/2012-P& M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.